

भारत संघ एवं एक अन्य

बनाम

टी. सुन्दरारामन एवं अन्य

9 अप्रैल, 1997

[माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजाता वी. मनोहर एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. एन. खरे]

सेवा विधि :

चयन — चिकित्सा के सहायक प्राध्यापक के पद हेतु विज्ञापन — संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत — साक्षात्कार हेतु न्यूनतम 4 वर्ष के अनुभव वाले अभ्यर्थियों का संक्षिप्त सूचीकरण — उसके विरुद्ध चुनौती—अधिकरण द्वारा संक्षिप्त सूचीकरण को अस्वीकृत करते हुए सभी आवेदनों के पुनः संसाधन हेतु संघ लोक सेवा आयोग को वाद प्रतिप्रेषित किया गया — अपील में निर्णीत किया गया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई संक्षिप्त सूचीकरण की प्रक्रिया वैध थी—अधिकरण का निर्णय अपास्त।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम नवनीत कुमार पोद्दार एवं अन्य, जे.टी. (1994)
6 एस.सी. 302 तथा आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. दिलीप कुमार एवं अन्य, जे.टी. (1993)
2 एस.सी. 138 पर अवलंबन किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1990 की दीवानी अपील संख्या 44

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास द्वारा मूल आवेदन संख्या 381, 1988 में पारित दिनांक 29.6.89 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

पी. पी. मल्होत्रा, एस. वसीम ए. कादरी तथा सी. वी. सुब्बा राव, अपीलकर्ताओं की ओर से।

उत्तरदाताओं की ओर से : चन्दन राममूर्ति।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

संघ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'आयोग') ने चिकित्सा के सहायक प्राध्यापक के तीन पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 10.10.1987 को एक विज्ञापन निर्गत किया। उक्त पद के लिए आवश्यक अर्हताएँ विज्ञापन में निर्धारित की गई थीं। अर्हताओं में से एक यह थी कि अपेक्षित स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात संबंधित विशेषज्ञता में व्याख्याता/शिक्षक/प्रदर्शक/वरीय रेजिडेंट/रजिस्ट्रार के रूप में कम-से-कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिए। विज्ञापन के टिप्पणी 21 में यह कहा गया था कि विहित आवश्यक अर्हताएँ न्यूनतम अर्हताएँ हैं तथा मात्र न्यूनतम अर्हताओं का धारक होना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। जहाँ किसी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तथा आयोग के लिए सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक अथवा संभव न हो, वहाँ आयोग विज्ञापन में विहित न्यूनतम अर्हताओं से उच्चतर अर्हताओं एवं अनुभव के आधार पर अथवा स्क्रीनिंग परीक्षण आयोजित करके अभ्यर्थियों की संख्या को युक्तियुक्त सीमा तक सीमित कर सकता है।

वर्तमान वाद में उक्त तीन पदों के लिए 37 आवेदन प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात आयोग ने 4 वर्ष अथवा उससे अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने के लिए उनका संक्षिप्त सूचीकरण किया। परिणामस्वरूप 20 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। उत्तरदाता संख्या 1 संक्षिप्त सूचीकरण की अर्हता प्राप्त नहीं कर सका और इस कारण उसे साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया।

उसने डॉ. वी. एस. गोपालकृष्णन के साथ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ (जिसे आगे 'अधिकरण' कहा गया है) के समक्ष उक्त विज्ञापन के अनुसरण में चिकित्सा के सहायक प्राध्यापक के पद पर किए गए चयन को संक्षिप्त सूचीकरण को चुनौती देते हुए अपास्त करने हेतु आवेदन दायर किया। अधिकरण ने निर्णीत किया कि आयोग द्वारा पृथक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। अधिकरण के समक्ष आवेदकों द्वारा किए गए इस

अभिकथन को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में रिक्तियाँ उपलब्ध थीं, उसने आयोग द्वारा किए गए संक्षिप्त सूचीकरण को अस्वीकृत करते हुए, आवेदकों सहित सभी आवेदनों को नए चयन हेतु पुनः संसाधित करने के लिए वाद आयोग को प्रतिप्रेषित कर दिया।

अधिकरण ने ऐसा करके स्पष्ट रूप से त्रुटि की है। विज्ञापन की टिप्पणी 21 में स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि यदि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो आयोग अभ्यर्थियों के पास विहित न्यूनतम अर्हताएँ होने के बावजूद उच्चतर अर्हताओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का संक्षिप्त सूचीकरण कर सकता है। *मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम नवनीत कुमार पोद्दार एवं अन्य*, जे.टी. (1994) 6 एस.सी. 302 में इस न्यायालय ने किसी तर्कसंगत एवं युक्तियुक्त आधार पर किए गए अभ्यर्थियों के संक्षिप्त सूचीकरण को यथावत रखा था। उस वाद में संक्षिप्त सूचीकरण के प्रयोजनार्थ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए विहित न्यूनतम अनुभव से अधिक अवधि के अनुभव को मानदंड बनाया गया था। इस न्यायालय द्वारा उसे यथावत रखा गया था। *आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. दिलीप कुमार एवं अन्य*, जे.टी. (1993) 2 एस.सी. 138 में भी इस न्यायालय ने कहा था कि चयन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में विचारार्थ पात्र अभ्यर्थियों का परीक्षण उच्चतर पात्रता अर्हता निर्धारित करके करना नियुक्ति प्राधिकारी के लिए सदैव खुला रहता है, ताकि चयन के क्षेत्र को सीमित किया जा सके और अंततः उच्चतर अर्हता वाले अभ्यर्थियों को विचार क्षेत्र में प्रवेश प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त हो सके। अतः वर्तमान वाद में आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया वैध थी। फलतः अधिकरण का निर्णय अपास्त किया जाता है तथा अपील स्वीकृत की जाती है। तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

जी.एन.

अपील स्वीकृत।

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

सन्नी प्रसाद